He Gazette of India

Alleapit A Napiisia

सं० 14

नई विल्ली, शनिवार, अप्रैल 3, 1976 (चैत्र 14, 1898)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 3, 1976 (CHAITRA 14, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा आ सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

बिषय-सूची

	·	111	1 1/41	
भाग	I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों भ्रौर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा भ्रादेशों भ्रौर संकल्पों से	पृष्ठ	किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के श्रादेश, उप-नियम श्रादि सम्मिलित हैं) भाग IIखंड 3उपखंड (ii)(रक्षा मंत्रा-	921
भाग	सम्बन्धित प्रधिसूचनाएं I-खंड 2-(रक्षा मंद्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंद्रालयों प्रौर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी प्रफसरों की नियुक्तियों, पदोश्वतियों, छुट्टियों	317	लय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों भौर (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के श्रन्तर्गत बनाए ग्रौर जारी किए गए ग्रादेश ग्रौर ग्राधिसुचनाएं	1381
	श्रावि से सम्बन्धित ग्रिधिसूचनाएं .	561	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा श्रध-	79
	I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, म्रादेशों मौर संकल्पों से सम्बन्धित म्रिधसूचनाएं . I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की		सूचित विधिक नियम भीर मादेश भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक- सेवा श्रायोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों श्रीर भारत सरकार के भ्रधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई ग्रधिसूचनाएं	2841
	गई ग्रफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों ग्रादि से सम्बन्धित ग्रधिसूचनाएं	433	भाग III—खंड 2—एकस्थ कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई श्रधिसूचनाएं श्रौर नोटिस	289
भाग	IIखंड 1ग्रिधिनियम, ध्रध्यादेश ग्रीर विनियम	.—	भाग III—खंड 3—मुख्य श्रायुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई श्रधिसुचनाएं	
	II— खंड 2—विधेयक ग्रौर विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट .		भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक श्रधिसूचनाएं जिनमें श्रधि- सूचनाएं, ग्रादेश, विज्ञापन श्रौर नोटिस	
भाग	भा—खंड 3—उपखंड(i)—(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रा-		शामिल हैं . · ·	1355
	सयों भीर (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी		भाग IV — गैर-सरकारी व्यक्तियों ग्रौर गैर- सरकारी संस्थाग्रों के विज्ञापन तथा नोटिस	53

CONTENTS

PART 1—Section 1.—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	PAGE	(other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) PART II—SECTION 3.—Sub. Sec. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India	Р лов 921
PARI I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Minis-		(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1381
tries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	561	PART II—Section 4.—Statutory Rules and Orders motified by the Ministry of Defence	79
PART I—Section 3.—Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence		PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2841
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	433	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	289
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations		PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.	_
PART II—Section 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	-	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertise-	
PART II—SECTION 3.—Sub. Sec. (i).—General Sta- tutory Rules (including orders, bye-laws		ments and Notices issued by Statutory Bodies	1355
etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India		PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	53

PART I--SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1976

सं० 26 प्रेज | 76—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी श्रति श्रसाधारण विशिष्ट सेवा के लिये ''परम विशिष्ट सेवा मैडल'' प्रदान करने का सहर्ष श्रनुमोदन करते हैं :---

- लैफिटनेन्ट जनरल ग्रोम प्रकाश मलहोत्रा, (ग्राई० सी० 478) ग्रार्टिलरी
- 2. लैफ्टिनेन्ट जनरल श्रिभमन्यु वोहरा, (आई० सी० 829) इन्फैन्ट्री
- 3' लैफ्टिनेन्ट जनरल जोरावर चन्द बख्शी, (म्राई० सी० 1510) भहावीर चऋ,वीर चऋ,वी० एस० एम० इन्फेन्ट्री
- 4. लैंफ्टिनेन्ट जनरल केहर सिंह गरेवाल, (श्राई सी० 585) सिगनल्स
- 5. लैपिटनेन्ट जनरल नोबल ग्रादिसेशियाह, (एम ग्रार० 254) ए० बी० एस० एम०, ग्रामी मैडिकल कोर
- 6. लैंपिटनेन्ट जनरल गुरबचन सिंह (श्राई० सी० 1191) श्रारमर्ड कोर
- 7. लैफिटनेन्ट जनरल जगवीश्वर सिंह नकाई (म्राई० सी० 926) म्राटिलरी
- 8. वाइस एडिमरल राजेन्द्र टडन, (40000-एच०, ए० बी० एस० एम०, भारतीय नौसेना
- 9. एयर मार्शल बाबा सम्पूरन सिंह बेदी, (1795) ए० वी० एस० एम०, वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
- 10. मेजर जनरल कृष्ण चन्द सोनी, (म्राई० सी० 2053), ए० बी० एस० एम०, इन्जीनियर्स (सेवानिवृत्त)
- 11. मे जर जनरल बन्टवाल राममोहन प्रभु (श्राई० सी० 720), श्राटिलरी (सेवानिवृत्त)
- 12. मेजर जनरल पैंडा चन्द्र शेखर रेड्डी, (श्राई० सी० 1667), श्राटिलरी (सेवा निवृत्त)
- 13. मेजर जनरल वानिक मैनस (ग्राई० सी० 2587) ई० एम० ई०
- 14. मेजर जनरल राम सिंह (ग्राई० सी० 3198) इन्फैन्ट्री
- 15. मेजर जनरल गुरचरन सिंह सन्धु, (श्राई० सी 3234) श्रामर्ड कोर

- 16. मेजर जनरल उमा प्रसन्न मुक्तर्जी, (ए ० आर० 274) धार्मी मैंडिकल कोर
- 17. मेजर जनरल गजेन्द्र सिंह रावत, (ग्राई० सी० 2281), ए० वी० एस० एम०, इन्फैन्टी
- 18. मेजर जनरल कृष्ण कुमार महता (श्राई० सी० 1011), ई० एम० ई०
- 19. मेजर जनरल परसी हेरोल्ड श्रलफेंड (श्राई० सी० 2751), ए०वी० एस० एम०, ए० श्रो० सी०
- 20. एयर बाइस मार्शल जसपाल सिंह, (2451), बायु सेना मैडल, उड़ान (पायलट)
- 21. एयर वाइस मार्णल जफर जहीर (3173), ए० वी० एस० एम० उड़ान (पायलट)
- 22 एयर वाइस मार्शल जेमजी होर्मुस्जी फामजी मानेकशा, (एम० श्रार० 00323 एच०) (2690) ए० बी० एस० एम०, चिकित्सा (सेवानिवृत्त)

सं ० 2 7 प्रेज / 76—-राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियां को उनकी प्रसाधारण विशिष्ट सेवा के लिए ''श्रति विशिष्ट सेवा महल'' प्रदान करने का सहर्ष श्रनुमोदन करते हैं :—-

- मेजर जनरल कृष्ण वयाल चहुा (माई० सी० 986), मादिलरी
- ब्रिग्नेडियर ग्राप्टिंद नीलकंठ जतार (ग्राई० सी० 1523), महावीर चक्र श्रारमर्ड कोर (सेवानिवृक्ष)
- 3. क्रिग्रेडियर बलबीर सिंह परहार (ग्राई० सी० 3117), ए० एस० सी० (सेवानिवृक्ष)
- 4. त्रिग्रेडियर सुधेन्दु कुमार दास (श्राई० सी० 3560), ए० एस०सी० (सेवानिवृत)
- 5. ब्रिग्नेडियर पीताम्बर दास सक्सेना (वी०-21), श्रार० बी० सी० (सेनानिवृत्त)
- ब्रिग्रेडियर रसल लाजरस (म्राई० सी० 1547), पैरा
- 7. ब्रिग्रेडियर जेम्स हरमन (ग्राई० सी० 3243), प्राटिलरी
- 8. ब्रिग्रेडियर सिकंदर लाल चावला (ग्राई० सी० 4449), ग्राटिलरी
- 9. त्रिग्रेडियर यूस्टस मेनुएल श्रालीरियोड कोस्टा (झाई० सी० 4638), इन्जीनियर्स

- 10. क्रिगेडियर यणबंत शंकर देसाई (श्राई० सी० 978), सिगनल्स
- 11. त्रिगेडियरमोसूर सुब्रहमण्य शास्त्री (ग्राई०सी० 10368) जे०ए०जी० विभाग
- 12. जिगेडियर जगमोहन सिंह (ग्राई० सी० 1551), श्राटिसरी
- 13. ब्रिगेडियर गोविन्दर सिंघ (ब्राई० सी० 4199), इन्जीनियर्स
- 14. जिगेडियर कृष्ण चन्द महरा (ब्राई० सी० 3814), ए० श्री० सी०
- 15. क्रिगेडियर वरदेव सिंह (डी० श्रार० 10004), श्रामी डेन्टल कोर (सेवा निवृक्ष)
- 16. ब्रिगेडियर मेथ्यू थोमस (म्राई० सी० 3950), वी० एस० एम०, पैरा
- 17. क्रिगेडियर सुरेन्द्र नाथ दर (ग्राई० सी० 5441), वी० एस० एम०, गोरखा राइफल्स
- 18. क्रिगेडियर किवार नाथ शर्मा (एम० आर० 505), ए० एम० सी०
- 19. जिगेडियर नरब देश्वर दयाल (श्राई० सी० 58 90), ई० एम० ई०
- 20. ब्रिगेडियर सन्त कुमार मलहोत्ना (श्राई० सी० 1053), सिगनस्स (सेवानिवृत्त)
- 21. क्रिगेडियर गुरदेव सिंह क्लेयर (ग्राई० सी० 5340) ग्रारमर्ज कोर
- 22. क्रिगेडियर पाण्डुरंग हरी नारुरकर (ब्राई० सी० 2408), इन्जीनियर्स
- 23. कमोडोर बिठ्टल प्रमृतराव घरेणवर, (00036 एफ०), नौसेना मंडल भारतीय नौसेना
- 24. कमोडोर कुमार माधव बेलप्पन नायर, (00051 म्रार०) बीर चक्र, भारतीय नौसेना
- 25. कमोडोर मुबीमल मुकर्जी (00053 डब्ल्यू॰), भारतीय नौसेना
- 26. कमोडोर ग्ररविन्द विनायक कोर्डे (40011 एच०), भारतीय नौसेना
- 27. कमोडोर केवल कृष्ण भास्कर, (70000 प्रार०) वी० एस० एम०, भारतीय नौसेना, (सेवानिवृत्त)
- 28. एयर कमोडोर राजिन्दर नाथ बक्शी (2194),प्रशासन
- 29. एयर कमोडोर बलवत विक्रम चौहान (3352) उड़ान (पायलट)
- 30. एयर कमोडोर बेटकोरू-मकनकाव शिवराम नारायणन् (3549) वी० एस० एम० वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रो निकी)
- 31. एयर कमोडोर जगदीश राज भसीन, (3591) वायुसेना मैडल, उड़ान (पायलट)

- 32. एयर कमोडोर अचुथ विश्वनाथन (3607) वैमानिक इंजीनियरी (यांन्निक)
- 33. एयर कमोडोर डेनिस एन्थोनी लाफोन्टेन, (38 44) बायु-सेना मैंडल, उड़ान (पायलट)
- 34. कर्नेल श्रानन्द मोहन श्रहजा (एम० श्रांर० 365) श्रामी मैडिकल कोर
- 35. कर्नल मुथुस्वामी दक्षिना मूर्ति (एम० आर० 347) ग्रामी मेंडिकल कोर (सेवानिवृत्त)
- 36 कर्नल कंबर सैन बक्शी (आई० सी० 1817) महार
- 37. कर्नल प्रकाश चन्द्र मेहता (भ्राई० सी० 6396) कुमांऊ (सेवानिवृत)
- 38 कर्नल गोपालन नायर वासुदेवन (ग्राई० सी. 9733) पायनियर कोर (सेवानिवृत)
- 39. कर्नल दवारका नाथ रहेजा (एम० श्रार० 848) श्रामीं मेडिकल कोर (सेवानिवृत्त)
- 40. कर्नल रघुबीर प्रसाद वर्मा (ग्राई०सी० 5478) ए० ई० सी० सेवानिवृत
- 41. कर्नल मनमोहन विनायकराव मुजूमदार (ग्राई० सी० 2310) राजपूत (सेवानिवृत्त)
- 42 कर्नल हर ऋष्ण लाल पुरी (म्राई० सी० 6058), ई० एम०ई०
- 43. कर्नल ग्रमर नाथ सेठी (ग्राई० सी० 6325), इंजी-नियर्स
- 44. कैप्टेन लाजपत राय मेह्ता (50011 के) भारतीय नौ
- 45. कैप्टेन वेदकीवेटिल जनार्दनन (60006 ए), भारतीय नौसेना
- 46. ग्रुप कैप्टेन कानुमिल्ली सूर्यनारायण राव (3371), चिकित्सा
- 47. ग्रुप कैप्टेन प्रजीत कुमार बैनर्जी (3912) वैमानिक इंजी-नियरी (यांत्रिक)
- 48. ग्रुप कैप्टेन सुरेन्द्र कुमार मेहरा (4197), वायुसेना मैडल, उड़ान (पायलट)
- 49. कमांडर भोग प्रकाश सहगल (50022 के) भारतीय नौसेना

सं० 29—प्रेज/76—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी उच्चकोटि की विणिष्ट सेवा के लिए "विणिष्ट सेवा मैडल" प्रदान करने का सहर्ष भ्रन्मोदन करते हैं:—

- 1. कर्नल हरीसिंह (भ्राई० सी० 5536), ग्रेनेडियर्स
- 2. कर्नल बृज लाल वर्मा (स्राई० सी० 7010) इन्जी-नियर्स
- 3. ग्रुप कैंप्टेन नारायन बामन तिलक (4411) उड़ान (पायलट)

- 4. लैंपिटनेन्ट कर्नल विक्रमाजित सिंह सन्धू (श्राई० सी० 8449) महार
- लैफ्टिनेन्ट कर्नल ग्रोम प्रकाश कौशिक (ग्राई० सी० 11689), राजपूताना राइफल्स
- लैफ्टिनेन्ट कर्नल सतीश चन्दर सेठी (म्राई० सी० 7214), ई० एम० ई०
- 7. लेफ्टिनेस्ट कर्नल सुहास चन्द्र चौधरी (ग्राई० सी० 6547), सिगनन्स
- 8. लैफ्टिनेन्ट कर्नल मोहिन्दर सिंह (भ्राई० सी० 7036) श्रसम रेजिमेंट
- लैफ्टिनेन्ट कर्नल बलोध शिवाशंकरन (म्राई० सी० 8250) गोरखा राइफल्स
- 10. लैंपिटनेन्ट कर्नल रवी कुमार माथुर (म्राई० सी० 10156), वीर चक्र, कुमांऊ
- 11. लैफ्टिनेन्ट कर्नल प्रभाश चन्द्र चतुर्वेदी (श्राई० सी० 8639) सिख रेजिमेंट
- 12. लैंपिटनेन्ट कर्नल भारत भूषण कालड़ा (म्राई० सी० 7615) इन्जीनियर्स
- 13. लैफ्टिनेन्ट कर्नल नील क्रुस्तोफर बैनर्जी (एस० एल० 35) जनरल सर्विस (एस० एल० रिकोर्डस) (सेवा निवृत्त)
- 14. लैफ्टिनेन्ट कर्नल गुलजार सिंह पबले (म्राई० सी० 9717) (सेवानिवृत/पुर्नेनियुक्त), मद्रास
- 15. लैंफ्टिनेन्ट कर्नल दुर्गा दास बैनर्जी (एम० ग्रार० 650), चिकित्सा
- 16. लोकल लैफ्टिनेस्ट कर्नल कालिप नाथ सिंह (ग्राई० सी० 11751), इन्जीनियर्स
- 17. कमांडर नरिन्द्र कुमार भनोट (00334-एच०) भारतीय नौसेना
- 18. कमांडर कृपाल सिंह ढिल्लों (70035-डब्ल्यू०) भारतीय नौसेना
- 19. कमांडर रंजीत कुमार विंग (40152-बी०), भारतीय नौसेना
- 20. सर्जन कमांडर श्रदंगपुरम श्रद्धाह्म (एम० ग्रार० 1107) (75070 एन०) भारतीय नौसेना
- 21. विग कमांडर युवराज सिंह पाल (3703) लेखा
- 22. विंग कमांडर शालग्राम पाढ़ी (4146) वेमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रोनिकी)
- 23. विंग कमांडर प्रद्युम्न कृष्ण पुरि (4397) उड़ान (नेविगेटर)
- 24. विंग कमांडर भ्रामोक सरकार (4463), पारिभारिकी
- 25. विग कमांडर हरदीप सिंह गोराया (4808), उड़ान "(पायलट)
- 26. विग कमांडर श्रीनिवासन कृष्णास्वामी (4948) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रोनिकी)

- विंग कमांडर सिसिल बेरेटो (5232) दंत-चिकित्सा (सेवानिवृत)
- 28. विंग नमांडर राज कुमार महाजन (5251) वैमानिक इंजी-नियरी (इलेक्ट्रोनिकी)
- 29. विंग कमांडर वीरेन्द्रनाथ भार्गव (5288) चिकित्सा
- 30. विंग कमांडर राधवन गोपालस्थामी (5826) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
- 31. मेजर प्रकाश गोविन्द भट (श्राई० सी० 17620) मराठा लाइट इन्फैन्ट्री
- 32. मेजर रामचन्द्रन विश्वनाथ (एम० ग्रार० 2291) श्रामी मैडिकल कोर
- 33. मेजर सूरजीत सिंह (भाई० सी० 12915) ई० एम० ई०
- 34. मेजर मुल्लांगुडी सीतारामन् बालगणेसन (म्राई० सी० 15098) इन्जीयनयर्स
- 35. मेजर म्रोम प्रकाश भाटिया (म्राई० सी० 13235) गोरखा राइफल्स
- 36. मेजर मोहिन्दर सिंह बोपेराये (श्राई० सी० 16454) इंजीनियर्स
- 37. मेजर कंवर सैन (श्राई० सी० 15737), मद्रास
- 38. भेजर राम कान्स (ग्रॉई० सी० 15449), सिगनल्स
- 39. मेजर रामदुरे स्वामिनाथन (श्राई० सी० 12781), ई० एम० ई०
- 40. मेजर (कुमारी) मातिलदा सुलोचना बाई डेविड (एन० एस० 12316) मिलिट्री नर्सिंग सर्विस
- 41. मेजर इकबाल सिंह (ग्राई० सी० 11861), महार
- 42. र्लंफिटनेन्ट कमांडर क्षेत्र बसी बी० सी० ई० (40079-एन०) भारतीय नौसेना
- 43. लैंफ्टिनेन्ट कमांडर राजेन्द्र सिंह चौधरी (40159-डब्ल्यू०) भारतीय नौसेना
- 44 लैफ्टिनेन्ट कमांडर वीर्ला वेंकट मधुसूदन राव (50149 जेंड०) भारतीय नौसेना
- 45. लैंफ्टिनेन्ट कमांडर (एस० डी० डब्ल्यू०) नूरंगमकोडायिल नारायणन (89000 वाई०) भारतीय नौसेना
- 46. लैफ्टिनेन्ट कमांडर (एस० डी० रैंग) कूचानूर पुनुगन्ना रामदासः (83912 एच०) भारतीय नौसेना
- 47. लैंफ्टिनेन्ट कमांडर (एस० डी० एम० ई०) करुणकाट्टिल कृष्णन कुट्टी (85031-ए०) भारतीय नौसेना
- 48. स्क्वाङ्न लीडर बीरेन्द्र कुमार निगम (5155) शिक्षा
- 49. स्क्वाडून लीडर जनक कपूर (5585) उड़ान (पायलट)
- 50. स्वयाड्रन लीडर मैसूर कृष्णामूर्थी रंगनाथन (5717) प्रशासन
- 51. स्मवाङ्ग लीडर भ्रानिल कुमार वर्मा (5785) उड़ान (पायलट)

- 52. स्ववाड्रन लीडर ज्ञान रंजन चटर्जी (5851) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
- 53. स्क्वाडून लीडर धर्म चन्द लठ (6198) पारिभारिकी
- 54. स्क्याड्रन लीडर राम निवास शर्मा (6405) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
- 55. स्क्याड्रन लीडर मन मोहन सिंह श्रहलुवालिया (6809) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
- 56. स्क्वाड्रन लीडर मोहिन्दर सिंह (6870) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
- 57. स्क्वाड्रन लीडर कन्तप्पा सिवालिगंम (7070) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
- 58. स्थ्वाङ्ग लीडर तुम्मलूरू जनार्दन रेड्डी (7525) प्रशासन
- 59. स्क्वाङ्गन लीडर बिल्लवरा कान्तप्पा रामा कृष्ण (8143) उड़ान (पायलट)
- 60. कैंप्टन विजय सिंह (ग्राई० सी० 26811) जाट रेजिमेंट
- 61. जे० सी० 15817 सूबेदार मेजर विम्वनाथ, इंजीनियर्स कोर (सेवानिवृत्त)
- 62. भगत राम, मास्टर चीफ पैटी भ्राफिसर-I, नम्बर 44686, भारतीय नौसेना
- 63. 14969 मास्टर वार्ट श्रफसर कलाथिल नेल्लिक्का चन्द्रन, फिटर-II
- 64. जें० सी० 34258 सूबेदार कुप्पूस्वामी, इंजीनियर्स
- 65. भागवत सिंह मक्कर, मास्टर ्चिक मैकेनिशयन (पावर)-LL नम्बर 48373, भारतीय नौसेना
- 66. 44985 वारंट ग्रफसर सुग्रमनियन साम्बासिवन, वायरलैस ग्रापरेटर मेकेनिक-I
- 67. सुशील कुमार राय चौधरी, पैटी श्राफिसर (क्यू० ए०-I) नम्बर 87900, भारतीय नौसेना
- 68. 202508 फ्लाइट सार्जेन्ट बर्धा गोविन्दाराजुल, फिटर-I
- 69. 209286 फ्लाइट सार्जेन्ट जगत राम शर्मा, ∕िफटर आर्मरर
- 70. 223128 फ्लाइट सार्जेंट हरी शंकर शर्मा, फिटर-II ईंजन
- 71. 207827 सार्जेन्ट जगतार सिंह प्रथवाल, फिटर-I एयर-फ्रेम
- 72. 215688 सार्जेन्ट सुरेश चन्द्र पांडे, सी० एण्ड एस० एम० डब्ल्यू०
- · 73. 221343 सार्जेन्ट तुलसी पार्थसारथी, मैंडिकल प्रस्सिटेंट
 - 74. 263411 कार्पीरल रूप सिंह मथारू फिटर-11 ईजन

सं० 29 प्रेज/76—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्ति को उस की प्रसाधारण विशिष्ट सेवा के लिए "ग्रति विशिष्ट सेवा मैंडल का बार" प्रदान करने का सहर्ष श्रनमोदन करते हैं:—

एयर कमोडोर लक्ष्मण माधव कल्ने, (3117) ए० वी० एस० एम०, उड़ान (पायलट) । सं० 30-प्रेज/76—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्ति को उसकी उच्चकोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "विशिष्ट सेवा मैडल का बार" प्रदान करने का सहर्ष श्रनुमोदन करते हैं।

् कैंप्टेन सन्त दास (टी० सी० 31174) वी० एस० एम०, श्रामी पोस्टल सर्विस ।

> कु० बालचन्द्रन् राष्ट्रपति के सचिव

विधि, न्याय श्रीर कम्पनी कार्य मंद्रालय
विधायी विभाग
विकार जांच समिति
नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1976

संकरप

सं० एफ० 10(4)/69-वक्फ—भारत के राजपक्ष, भाग I खण्ड 1, दिनांक 23 जनवरी, 1971 में प्रकाशित भा त सरकार के विधि, न्याय श्रीर कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के तारीख 9 दिसम्बर, 1970 के संकल्प सं० एफ० 10(4)/69-वक्फ द्वारा गठित बक्फ जांच समिति की श्रविध, जो 15 जनवरी, 1976 तक बढ़ाई गई थी [11 दिसम्बर, 1975 के संकल्प सं० एफ० 10(4)/69-वक्फ देखिये], 29 फरवरी, 1976 तक इसके द्वारा श्रीर बढ़ाई जाती है।

एन० श्रीनियासन, उप सचिव

वित्त मंत्रालय राजस्व श्रौर बीमा विभाग नई दिल्ली, दिनांक 12मार्च 1976

संकल्प

सं० ई०-11017/35/75-हिन्दी (समन्वय)—इस मंद्रालय के 2.9 जनवरी, 1976 के इसी संख्या के जिस संकल्प के द्वारा वित्त मंत्रालय के लियं हिन्दी सलाहकार समिति की स्थापना की गयी थी उसका ग्रांशिक संशोधन करते हुए ग्रिधसूचित किया जाता है कि कम संख्या 7 पर श्री भोला पासवान गास्त्री, संसद् सदस्य के स्थान पर निम्नलिखित नाम सदस्य के रूप में प्रतिस्थापित किया जाय:

श्री देवेन्द्र नाथ ब्रिवेदी, संसद् सदस्य ।

आवेश

श्रादेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति सभी राज्य सरकार श्रीर संघ राज्य प्रदेश के प्रशासन, प्रधान मंत्री सचित्रालय, मंत्रि मंडल सचित्रालय, संसद कार्य विभाग, लोक सभा सचित्रालय, राज्य सभा सचित्रालय, योजना ग्रायोग, राष्ट्रपित् सचित्रालय, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व श्रीर भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभागों को भेजी जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव को श्राम जानकारी के लिये भारत के शजपत्न में प्रकाशित किया जाय।

मदन गोपास श्रद्धोल, श्रपर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 1976

सं । 1/8/73-ई० पी० जैंड --राष्ट्रपति, श्री ए० जी० कुष्णन, को जो पहले विकास आयुक्त सांताक्ष्ण इलैक्ट्रोनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के कार्यालय में लेखा श्रधिकारी थे, 21 फरवरी, 1976 के पूर्वाह्म से छः महीने की अवधि के लिये तदर्भ आधार पर 1100-1600 रुपये के वेतन मान में प्रतिनियुक्ति पर उसी कार्यालय में उप विकास आयुक्त (न्यू यूनिट्स) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं ० 1/1/76-ई० पी० जैड—-राष्ट्रपति, श्री एस० गनेसन को, जो पहले टैरिफ आयोग, बम्बई में सहायक निदेशक थे, 20 फरवरी, 1976 के श्रपराह्म से छः महीने की अवधि के लिये 700-1300 रुपये के वेतन मान में प्रतिनियुक्ति पर विकास आयुक्त, सान्ताकुज इलैक्ट्रोनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के कार्याक्त में जन संपर्क अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

यु० भ्रार० कुर्लेकर, उप निदेशक

स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 1976

संकल्प

सं० जेड० 23015-7-76 अस्पताल -भारत सरकार यह
सोचती है कि संघ भासित क्षेत्र दिल्ली में इलाज और स्वास्थ्य
संबंधी सेवा कार्यों को मुनियोजित और समन्वित रखने के
लिये एक उच्च स्तरीय बोर्ड का होना बांछनीय है। तदन्सार
यह निर्णय किया गया है कि भारत सरकार स्वास्थ्य और
परिवार नियोजन मंत्रालय की सामान्य देख रेख में दिल्ली संघ
भासित क्षेत्र में ग्रस्पतालों के लिए एक दिल्ली अस्पताल बोर्ड
गिठित किया जाये।

2. दिल्ली ग्रस्पताल बोर्ड में निम्नलिखित होंगे:---

2. Ideal Medial and determined fire	
(1) उप राज्यपाल, दिल्ली	श्रध्यक्ष
(2) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक या ग्रपर	
महानिदेशक .	सदस्य
(3) संयुक्त सचिव, स्वाम्थ्य स्रौर परिवार	
नियोजन मंत्रालय , भारत सरकार	
(स्वास्थ्य विभाग)	सदस्य
(4) विस सलाहकार (स्वास्थ्य) विस	

- (4) वित्त सलाहकार (स्वास्थ्य) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार . सदभ्य
- (5) सचिव (स्वास्थ्य), दिल्ली प्रशासन . सदस्य

(6)	स्वास्थ्य सेवाभ्रों के निदेशक	विल्ली	
, ,	प्रशासन		सदस्य
(7)	ग्रायुक्तः दिल्ली नगरः निगम		सदस्य
(8)	सदस्य सचिव, नई दिल्ली नगर प	प्रति का	सदस्य
(9)	श्रध्यक्ष, दिल्ली कण्टोनमेंट बोर्ड	•	सदस्य
(10)	-(12) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ह	धरा	
	मनोनीत तीन व्यक्ति .		सदस्य
• /	उप महानिदेशक (स्था०	प्र०)	
₹	वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	. सदस	य सचिव

3. इस बोर्ड का मुख्यालय, नई दिल्ली में होगा।

4. यह बोर्ड जब भी म्रावण्यक समझेगा बैठकों का आयोजन करेगा मौर जिन म्रिधकारियों/विशेषज्ञों को वह म्रावश्यक समझेगा उन्हें म्रापनी बैठकों में बुला सकता है। उमे किसी प्रयोजन के लिये ऐसी उप समितियां नियुक्त करने का भी म्रिधिकार होगा जिन्हें वह म्रावश्यक समझता हो।

- 5. उर्युर्यृक्त उपबन्धों में निहित सामान्य बातों में कोई परिवर्तन न करते हुए इम कोई के विशेषतया निम्नलिखित कार्य होंगे:---
 - (क) दिल्ली संघ णासित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाश्रों में सुधार करने की योजना बनाना।
 - (ख) आपाती श्रीर दुर्घटनाओं को देख रेखा, जिनमें एम्बुलेंस सेवा, ब्लंड बैंक, औषधियों, उपकरणों श्रादि की केन्द्रीय खरीद श्रादि भी आ जाती है, जैसी विशिष्ट सेवाश्रों के लिए क्षेत्रीय श्राधारपर योजनाएं अनाना।
 - (ग) समय-समय पर ग्रस्पतालों के सेवा कार्यों का मूल्यांकन/ निरीक्षणकी व्यवस्था करना।
 - (घ) जिन विशेष सुविधाओं श्रौ्र सेवा कार्यों को स्नावश्यक समझा जाय उनकी व्यवस्था करने के लिये धनराणि सुझाना ।
 - (ङ) श्रस्पतालों सेवाधों के लिये जनता से दान मांगना, एक करना और लेना तथा निर्धारित प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग करना बणतें ऐसा दान लेने श्रथना उमका उपयोग करने पर सरकार को श्रस्पताल के लिए श्रितिरक्त खर्चन करना पड़े और साथ ही इस प्रकार के दान से इस संबंध में प्रवृत्त होने वाले नियमों श्रीर श्रादेशों का उल्लंधन नहीं होता हो।

आदेश

ग्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/स्वास्थ्य सेवामहानिदेशालय/दिल्ली प्रणासन/ दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका/दिल्ली केंट बोर्ड/दिल्ली ग्रस्ताल बोर्डके श्रध्यक्ष ग्रीर सदस्यों को प्रेषित कर दी जाए।

ब्रादेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी <i>के</i> लिये	संसब-सबस्य
भारतक्रे राजपत्न में प्रकाणित कर दिया जाए:।	30. श्री एम० वी० कृष्णप्पा (लोक सभा) सदस्य
सी० ग्रार० कृष्णमूर्ति, संयुक्त सर्विव	31. श्रीमती मुकुल बनर्जी (लोक सभा) . "
	32. श्रीमती प्रतिमा बोस (राज्य सभा)
परिवार नियोजन विभीग	गैर सरकारो/स्वैच्छिक संगठन/श्रमिक संगठन
	33. श्रध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड . ,,
नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1976	3.4 अध्यक्ष भारतीय परिवार नियोजन संघ
सं० बी० 11011/ <i>5</i> /75-नीति—इस मं श्रालय के समय-	35. अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य श्रीर श्रीद्योगिक
समय पर यथासंशोधित 13 जून, 1973 की अधिसूचना	मण्डल परिसंघ
सं० 2-63/72-नीति के अधिक्रमण में भारत सरकार ने केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषक्ष को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया	36. ग्रध्यक्ष, भारतीय चिकित्सक संघ . ,,
है जिसके सदस्य इस प्रकार होंगे :—	३७ सभास भारतीय पिण कल्याण परिषद
मंत्रिगण	38. भारतीय नियोक्ता परिसंध का प्रति-
न जियान 1. स्वास्थ्य भ्रौर परिवार नियोजन मंत्री . अध्यक्ष	निधि "
 स्थास्थ्य श्रीर परिवार नियोजन राज्य मंत्री उपाध्यक्ष 	" 39. प्रखिल भारतीय पंचायत परिषद् का प्रतिनिधि ",
3. केन्द्रीय स्वास्थ्य श्रीर परिवार नियोजन उप-	40. श्रध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ काग्रेस
मंत्री सदस्य	भ्रथवा उनका प्रतिनिधि "
4. सदस्य, योजना मायोग , ,,	गणमास्य ध्यक्ति :
 स्वास्थ्य मंत्री, म्रांध्र प्रदेश सरकार ,, 	41. प्रो० पी० बी० वेसाई, निदेशक, ग्राधिक वृद्धि
 स्वास्थ्य मंत्री, प्रसम सरकार ,, 	संस्थान "
7. स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार ,,	4.2. प्रो० जे० सी० काबूरी, कार्यकारी सचिव,
8. स्वास्थ्य मंत्री, गुजरात सरकार . ,,	परिवार नियोजन फाउन्डेशन ,,
 स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा सरकार . " 	43. डा॰ (श्रीमती) बी॰ जे॰ कोयाजी, मुख्य
10. स्वास्थ्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार . "	विकित्सा श्रधिकारी, किंग एडवर्ड मेमोरियल
11. स्वास्थ्य मंत्री, केरल सरकार "	श्रस्पताल, पुणे ,,
12. स्वास्थ्य मंत्री, जम्मू व कश्मीर सरकार ,,	अधिकारी :
13. स्वास्थ्य मंस्री, मध्य प्रदेश सरकार ,,	44. सचिव, स्थास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय ,,
14. स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार . "	45. सचिव , समाज कल्याण विभाग . "
15. स्वास्थ्य मंत्री, मणिपुर सरकार . ,,	46. सचिव, शिक्षा विभाग , "
16. स्वास्थ्य मंद्री, कर्नाटक सरकार , ,,	47. सचिव, श्रम मंत्रालय
17. स्वास्थ्य मंत्री, नागालैंड सरकार . ,,	48. सचिव, सूचना भौर प्रसारण मंत्रालय . "
18. स्वास्थ्य मंत्री, उड़ीसा सरकार ,, 19. स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब सरकार . ,,	49. भ्रपर सचिव, स्थास्थ्य भ्रौर परिवार नियोजन
19. स्वास्थ्य मन्ना, पणाव सरकार . ,, 20. स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार . ,,	मंत्रालय , ,,
ा उन्हारण पंसी विस्ताव वरसार	50. संयुक्त सचिव एवं म्रायुक्त (परिवार नियोजन
०० ज्यारण संबी विभावार सरकार	एवं प्रसूति तथा शिषु स्वास्थ्य) . सदस्य सिषव
०० स्थापन गंबी सिगरा भरकार	2. परिषद् परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति का
23. स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार . "	समयबद्ध रूप से पुनर्विलोकन करेगी तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित
25. स्वास्थ्य मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार . ,,	विषयों के बारे में सामान्य नीतियों पर भारत सरकार को
26. स्वास्थ्य मंत्री, गोग्रा, दमन श्रौर दीव सरकार ,,	सलाह देगी।
27. स्वास्थ्य मंत्री, पांडिचेरी सरकार . "	 परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया दो वर्ष होगा । लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य तब तक इस परिषद के
28. स्वास्थ्य मंत्री, मिजोराम सरकार . ,,	सदस्य रहेंगे जब तक वे लोक सभः/राज्य सभा के सदस्य रहेंगे
29. कार्यकारी पार्षेद (मेडिकल) दिल्ली प्रशासन ,,	भ्रथवा जब तक परिषद् कायम रहेगी, जो भी पहले होंगा।

4. समिति श्रावश्यकतानुसार श्रपनी बैठकें श्रायोजित कर सकेगी।

5. परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए मन्त्रियों, योजना ग्रायोग के सदस्यों तथा ग्रिधिकारियों के बाता भत्तों भीर दैनिक भत्तों पर होने वाले खर्च की पूर्ति उसी स्रोत से की जाएगी जहां से वे बेतन प्राप्त करते हैं। परिषद की बैठकों में भाग लेने वाले गैर-सरकारी सदस्यों का याता भत्ता तथा दैनिक भत्ता एस० ग्रार० 190 के उपबन्धों तथा समय-समय पर इसके ग्रन्तर्गत जारी किए गए ग्रादेशों के श्रनुसार विनियमित किया जाएगा।

6. इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति संस्वीकृत बजट श्रनुदान में से मुख्य शीर्ष के श्रन्तर्गत इस प्रकार की जाएगी:--

"मांग सं० 45—परिवार नियोजन—मुख्य शीर्ष" 281-क-परिवार नियोजन क-1-निर्देशन और प्रशासन-क-1 (1) मुख्यालय का तकनीकी प्रभाग-क-1 (1) (4)-यात्रा खर्च"।

सरला ग्रेवाल संयुक्त सचिव एवं ग्रायुक्त (परिवार नियोजन)

कृषि श्रौर सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 1976

सं० 8-1/72-एफ० वाई० (टी०-1) — खाद्य और कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग के 1 श्रप्रैल, 1958 के संकल्प संख्या 12-24/57-एफ० वाई० (डी) का श्रांणिक संगोधन करते हुए और इस मंत्रालय की 10 दिसम्बर, 1974 की इसी संख्या की श्रिधसूचना के कम में राष्ट्रपति, श्री एस० एन० सिंह देव, सदस्य लोकसभा (पश्चिम बंगाल) को आगामी श्रादेणों तक केन्द्रीय मात्स्यकी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करते हैं।

एस० पी० बालासुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

(सिंचाई विभाग) न**ई** दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 1976

संकल्प

सं० बा० नि० 37(38)/75—भूमि ग्रधिग्रहण के मानक (नार्म) निर्धारित करने तथा बृहत् जल संसाधन परियोजनाग्रों द्वारा विस्थापित लोगों के लिये पुनर्वास उपायों के लिये मंत्रियों की समिति के संबंध में इस मंत्रालय के संकल्प सं० वा० नि० 37(38)/75, दिनांक 18-9-1975 के संदर्भ में समिति द्वारा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख को एतद्दारा जन, 1976 के ग्रन्त तक बढ़ाया जाता है।

आवेश

श्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री सचिवालय, भारत के नियन्त्रक तथा महा-लेखा परीक्षक, योजना ग्रायोग श्रीर केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को सूचनार्थ भेज दी जाए।

अप्रदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्न में प्रकाशित कर दिया जाये श्रीर राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाये कि वे इसको सर्व साधारण को सूचनार्थ राज्य के राजपत्नों में प्रकाशित करा दें।

दिनांक 9 मार्च 1976

संकरप

सं० एफ० सी० 2/23/74— ब्रह्मपुत बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के 23 दिसम्बर, 1974 के संकल्प सं० एफ० सी०-2/23/74 के पैरा 1 की वर्तमान कम संख्या 11 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है।

"11 वन मंत्री, श्ररुणाचल प्रदेश सरकार---सदस्य"

आवेश

श्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्रसम श्रीर ग्रहणाचल राज्य सरकार, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, प्रधानमंत्री सिचवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सिचव, भारत के महानियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक, योजना ग्रायोग को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

यह भी श्रादेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्न में प्रकाशित किया जाए तथा राज्य सरकारों से इसे मार्व-जनिक सूचना के लिये राज्यों के राजपत्न में प्रकाशित करने के लिये श्रनुरोध किया जाए ।

भ्रो० पी० चढ़ा, संयुक्त सचिष

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 1976

संकरप

सं० हिन्दी/73/जी-28/2—रेलवे हिन्दी सलाहकार मिमिति के पुनर्गठन से सम्बन्धित रेल मंत्रालय के 21 जुलाई, 1975 के संकल्प सं० हिन्दी/73/जी-28/2 में श्रांणिक श्राणोधन करते हुए भारत सरकार उक्त संकल्प के क्रमांक II पर उल्लिखित सभी क्षेत्रीय रेलों के मुख्य कार्मिक श्रधिकारियों के स्थान पर "सभी क्षेत्रीय रेलों पर हिन्दी कार्य के लिये उत्तरदायी वरिष्ठ श्रधिकारी", को समिति का सदस्य नियुक्त करती है।

2. भारत सरकार ने रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 25 जुलाई, 1974 के संकल्प सं० हिन्दी/73/जी-28/2 में, जिसके अधीन रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया था, आंशिक आशोधन करते हुए यह विनिश्चय किया है कि उक्त संकल्प के क्रमांक 24 के सम्मुख उल्लिखित "भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार" शब्दों के स्थान पर "सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार" शब्द पढ़े आयें।

श्रादेश

यह भ्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय श्रीर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये।

स० क० रामनाथन, संयुक्त स**चिव रेलवे बोर्ड**

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1976

No. 26-Pres/76.—The President is pleased to approve the award of Param Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:—

- 1. Lt. Gen. Om Prakash Malhotra (IC 478), Artillery.
- 2. Lt. Gen. Abhi Manyu Vohra (IC 829), Infantry.
- Lt. Gen. Zorawar Chand Bakshi (IC 1510), MVC, Vr. C., VSM, Infantry.
- 4. Lt. Gcn. Kehar Singh Garewal (IC 585), Signals.
- Lt. Gen. Noble Adiseshiah (MR 254), AVSM, Army Medical Corps.
- 6. Lt. Gen. Gurbachan Singh (IC 1191), Armoured Corps.
- 7. Lt. Gen. Jagdishwar Singh Nakai (IC 926), Artillery.
- Vice-Admiral Rajendra Tandon (40000 H), AVSM, Indian Navy.
- Air Marshal Bawa Sampuran Singh Bedi, (1795)
 AVSM, Aeronautical Engineering (Mechanical).
- Maj. Gen. Krishan Chand Soni (IC 2053), AVSM, Engineers (Retd).
- 11. Maj. Gen. Bantval Ramamohan Prabhu (IC 720), Artillery (Retd.)
- Maj. Gen. Paida Chandra Sekhara Reddy (IC 1667), Artillery (Retd.)
- 13. Maj. Gen. Vanic Minas (IC 2587), EME.
- 14. Maj. Gen. Ram Singh (IC 3198), Infantry.
- Maj. Gen. Gurcharan Singh Sandhu (IC 3234), Armoured Corps.
- Maj. Gen. Uma Prasanna Mukherjee (MR 274), Army Medical Corps.
- Maj. Gen. Gajendra Singh Rawat (IC 2281), AVSM, Infantry.
- 18. Maj. Gen. Krishna Kumar Mchta (IC 1011), EME.
- Maj. Gen. Percy Harold Alfred, (IC 27510), AVSM, AOC.
- Air Vice Marshal Jaspal Singh, (2451) VM, Flying (Pilot).
- Air Vice Marshal Jafar Zaheer, (3173) AVSM, Flying (Pilot).
- Air Vice Marshal Jemji Hormusji Framji Manekshaw, MR-00323H (2690), AVSM, Medical (Retd.).

No. 27-Pres/76.—The President is pleased to approve the award of the Ati Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:—

- 1. Maj. Gen. Krishan Dayal Chadha (IC 986), Artillery.
- Brig. Arvind Nilkanth Jatar (IC 1523), MVC, Armoured Corps (Retd).
- Brig, Balbir Singh Perhar (IC 3117), Army Service Corps (Retd).
- Brig. Suddhendu Kumar Das (IC 3560), Army Service Corps (Retd.).
- Brig. Pitamber Das Saksena (V-21), Remount and Veterinary Corps (Retd).
- 6. Brig. Russel Lazarus (IC 1547), Para.
- 7. Brig. James Hermon (IC 3243), Artillery.
- 8. Brig. Sikandar Lal Chawla (IC 4449), Artillery.
- Brig. Eustace Manuel Alirio Da Costa (IC 4638), Engineers.
- 10. Brig. Yeshwant Shankar Desai (IC 978), Signals.
- Brig. Mosur Subrahmanya Sastri (IC 10368), Judge Advocate General's Department.
- 12. Brig. Jagmohan Singh (IC 1551), Artillery.
- 13. Brig. Gobinder Singh, (IC 4199), Engineers.

- Brig. Krishan Chand Mehra (IC 3814), Army Ordnance Corps.
- Brig. Wardev Singh (DR 10004), Army Dental Corps (Retd).
- 16. Brig. Mathew Thomas (IC 3950), VSM, Para.
- Brig. Surendra Nath Dar (IC 5441), VSM, Gorkha Riffes.
- Brig. Kidar Nath Sharma, (MR 505), Army Medical Corps.
- 19. Brig. Narbadishwar Dayal, (IC 5890), EME.
- 20. Brig. Sant Kumar Malhotra (IC 1053), Signals (Retd).
- 21. Brig. Gurdev Singh Kler (IC 5340), Armoured Corps.
- 22. Brig. Pandurang Harl Narurkar (1C 2408), Engineers.
- Cmdo, Vithal Amritrao Dhareshwar (00036-F), NM, Indian Navy.
- Cmde. Kumara Madhava Velappan Nair (0051-R), Vr. C. Indian Navy.
- 25. Cmde. Subimal Mookerjee (00053-W), Indian Navv.
- 26. Cmde. Arvind Vinayak Korde (40011-H), Indian Navy.
- Cmde, Kewal Krishan Bhaskar (70000-R), VSM, Indian Navy (Retd).
- 28. Air Cdre. Rajinder Nath Bakshi (2194), Administrative.
- Air Cdre. Balwant Wickram Chauhan (3352), Flying (Pilot).
- Air Cdre. Vetbakkorumakankav Sivarama Narayanan,
 (3549), VSM, Aeronautical Engineering (Electronics).
- 31. Air Cdre. Jagdish Raj Bhasin, (3591), V.M. Flying (Pilot).
- 32. Air Cdre. Achutha Viswanathan (3607), Aeronautical Engineering (Mechanical).
- 33. Air Cdre. Danis Anthony Lafontaine, (3844), VM, Flying (Pilot).
- 34. Col. Anand Mohan Ahuja (MR 365), Army Medical Corps.
- Col. Muthuswamy Dakshina Murthy, (MR 347), Army Medical Corps (Retd).
- 36. Col. Kanwar Sain Bakshi (IC 1817), Mahar,
- 37. Col. Prakash Chandra Mehta (IC 6396), Kumaon (Retd).
- Col. Gopalan Nair Vasudevan (IC 9733), Pioneer Corps (Retd).
- Col. Dwarka Nath Raheja (MR 848), Army Medical Corps (Retd).
- 40. Col. Ragbubir Prasad Varma (IC 5478), Army Education Corps (Retd).
- 41. Col. Manmohan Vlnayakrao Majumdar (IC 2310), Rajput (Retd).
- Col. Har Krishan Lal Puri (IC 6058), Electrical Mechanical Engineers.
- 43. Col. Amar Nath Sethi, (IC 6325), Engineers.
- 44. Captain Lajpat Rai Mehta (50011-K), Indian Navy.
- Captain Vedakivetil Janardanan (60006-A), Indian Navy.
- Gp. Capt. Kanumilli Suryanarayana Rao (3371), Medical.
- Gp. Capt. Ajit Kumar Banerji (3912), Aeronautical Engineering (Mechanical).
- Gp. Capt. Surendra Kumar Mehra (4197), VM, Flying (Pilot).
- Commander Om Prakash Sehgal (50022-K), Indian Navy.

- No. 28-Pres/76.—The President is pleased to approve the award of the Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order:—
 - 1. Col. Hari Singh (IC 5536), Grenadiers.
 - 2. Col. Brij Lal Verma (IC 7010), Engineers.
 - Gp Captuin Narayan Waman Tilak (4411) Flying (Pilot).
 - 4. Lt. Col. Bikramajit Singh Sandhu (IC 8494), Mahar.
 - 5. Lt. Col. Om Parkash Kaushik (IC 11689), Raj. Rif.
 - 6. Lt. Col. Satish Chandar Sethi (IC 7214), EME.
 - 7. Lt. Col. Suhas Chandra Chaudhuri (IC 6547), Signals.
 - 8. Lt. Col. Mohinder Singh (IC 7036), Assam Regiment.
 - Lt. Col. Velloth Shiva Shankaran (IC 8250), Gorkha Riffes.
 - I.t. Col. Ravi Kumar Mathur (IC 10156), Vr. C., Kumaon.
 - Lt. Col. Prabhash Chandra Chaturvedi (IC 8639), Sikh Regt.
 - 12. I.t. Col. Bharat Bhushan Kalra (IC 7615), Engineers.
 - 13. Lt. Cel. Neil Christopher Banerjee (SL-35), General Service (Sl Records) (Retd).
 - 14. It. Col. Gulzar Singh Pablay (IC 9717), Madras (Retd./Reemployed).
 - 15. Lt. Col. Durgadas Banerjee (MR-650), Medical.
 - 16. L/Lt. Col. Kalip Nath Singh (IC 11751), Engineers.
 - Cdr. Narinder Kumar Bhanot (00334-H), Indian Navy.
 - Commander Kirpal Singh Disilon (70035-W), Indian Navy.
 - 19. Cdr. Ranjit Kumar Whig (40152-B), Indian Navy.
 - Surgeon Cdr. Adangapuram Abraham (MR 1107) (75070-N), Indian Navy.
 - 21. Wg. Cdr. Yubraj Singh Pal (3703), Accounts.
 - -.22. Wg. Cdr. Shalgram Parhae (4146), Aeronautical Engineering (Electronics).
 - Wg. Cdr. Perduman Krishan Puri (4397), Flying (Navigator).
 - 24. Wg. Cdr. Ashok Sarkar (4463), Logistics.
 - 25. Wg. Cdr. Hardip Singh Goraya (4808), Flying (Pilot).
 - Wg. Cdr. Srinivasan Krishnaswamy (4948), Aeronautical Engineering (Electronics).
 - 27. Wg. Cdr. Cecil Barretto (5232), Dental (Retired).
 - 28. Wg. Cdr. Raj Kumar Mahajan (5251), Aeronautical Engineering (Electronics).
 - 29. Wg. Cdr. Virendra Nath Bhargava (5288), Medical.
 - 30. Wg. Cdr. Raghavan Gopalaswami (5826), Aeronautical Engineering (Mechanical).
 - Major Prakash Govind Bhat (IC 17620), Maratha Light Infantry.
 - Major Ramachandran Viswanath (MR 2291), Army Medical Corps.
 - 33. Major Surjit Singh (IC 12915), EME.
 - Major Mullangudi Sitaraman Balaganesan (IC 15098), Engineers.
 - 35. Major Om Prakash Bhatia (IC 13235), Gorkha Rifles.
 - 36. Major Mohinder Singh Boperal (IC 16454), Engineers.
 - 37. Major Kanwar Sain (IC 15737), Madras.
 - 38. Major Ramakant (IC 15449), Signals.
 - 39. Major Ramadurai Swaminathan (IC 12781), EME.
 - Major (Miss) Matilda Sulochana Bai David (NS-12316), Military Nursing Service.
 - 41. Major Iqbal Singh (IC 11861), Mahar.
 - 42. Lt. Cdr. Kshetra Basi Bisoi (40079-N), Indian Navy.

- 43. Lt. Cdr. Rajendra Singh Chaudhry (40159-W), Indian Navy.
- Lt. Cdr. Veerla Venkata Madhusudan Rao (50149-Z), Indian Navy.
- Lt. Cdr. (Special Duties Writer) Nurungamthodiyil Narayanan (89000-Y), Indian Navy.
- Lt. Cdr. (SD, REG) Kuchanur Punuganna Ramdas (83912-H), Indian Navy.
- 47. Lt. Cdr. (SDME) Kurunkattil Krishnan Kutty (85031-A), Indian Navy.
- 48. Sqn. Ldr. Birendra Kumar Nigam (5155), Education.
- 49. Sqn. Ldr. Janak Kapur (5585), Flying (Pilot).
- Sqn. Ldr. Mysore Krishnamurthy Ranganathan (5717), Administrative.
- 51. Sqn. Ldr. Anil Kumar Verma (5785), Flying (Pilot).
- 52. Sqn. Ldr. Jnan Ranjan Chatterjee (5851), Aeronautical Engineering (Electronics).
- 53. Sqn. Ldr. Dharam Chand Lath (6189), Logistics.
- Sqn. I.dr. Ram Nivas Sharma (6405), Aeronautical Enginering (Electronics).
- Sqn. Lqr. Man Mohan Singh Ahluwalia (6809) Aeronautical Engineering (Mechanical).
- Sqn. Ldr. Mohinder Singh (6870), Aeronautical Engineering (Mechanical).
- Sqn. Ldr. Kanthappa Sivalingam (7070), Aeronautical Engineering (Mechanical).
- 58. Sqn. Ldr. Thummalura Janardana Reddy (7525), Administrative
- Sqn. I.dr. Billavara Kanthappa Ramakrishna (8143), Flying (Pilot).
- 60. Capt. Vijay Singh (IC 26811), Jat Regiment.
- JC-15817 Sub. Major Vishwanath, Corps of Engineers (Retd).
- 62. Bhagat Ram, Master Chief Petty Officer I, No. 44686, Indian Navy.
- 14969 Master Warrant Officer Kalathil Nellikka Chandran, Fitter I.
- 64. JC-34258 Sub. Kuppuswamy, Engineers.
- Bhagwat Singh Makkar, Master Chief Mechanician (Power) II No. 48373, Indian Navy.
- 44985 Warrant Officer Subramanian Sambasivan, Wireless Operator Mechanic I.
- Sushil Kumar Roy Choudhary, Petty Officer (QA-I)
 No. 87900, Indian Navy.
- 202508 Flight Sergeant Varada Govinda Rajulu, Fitter J.
- 209286 Flight Sorgeant Jagat Ram Sharma, Fitter/ Armourer.
- 223128 Flight Sergeant Hari Shankar Sharma, Fitter II Engine.
- 207827 Sergeant Jagtar Singh Athwal, Fitter II Airframe.
- 72. 215688 Sergeant Suresh Chandra Pandey, Coopersmith and Sheet Metal Worker.
- 221343 Sergeant Tulsi Parthasarthy, Medical Assistant.
- 263411 Corporal Roop Singh Matharu, Fitter II Engine.
- No. 29-Pres/76.—The President is pleased to approve the award of *Bar to* Ati Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:—
 - Air Cdre, Lakshman Madhav Katre, (3117) AVSM, Flying (Pilot).

No. 30-Pres./76.—The President is pleased to approve the award of Bar to Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order:—

- Captain Sant Dass (TC 31174), VSM, Army Postal Service.
 - K. BALACHANDRAN, Secy. to the President.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(LEGISLATIVE DEPARTMENT) WAKF INQUIRY COMMITTEE New Delhi, the 28th February 1976 RESOLUTION

No. F. 10(4)/69-Wakt.—The term of the Wakf Inquiry Committee set up by the Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Legislative Department, Resolution No. F. 10(4)/69-Wakf dated the 9th December, 1970, published in the Gazette of India, Part I, Section I, dated the 23rd January, 1971, and extended upto the 15th January, 1976, vide Resolution No. F. 10(4)/69-Wakf dated the 11th December, 1975 is hereby further extended upto the 29th February 1976.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrators of Union Territories etc.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. SRINIVASAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE AND INSURANCE

New Delhi, the 12th March 1976

RESOLUTION

No. E. 11017/35/75-Hindi(C).—In partial modification of this Ministry Resolution of even number dated the 29th January, 1976, setting up the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Finance, the following name may be substituted as Member at Serial No. 7 in place of Bhola Paswan Sastri. Member of Parliament:

Shri Devendra Nath Dwivedi, Member of Parliament.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. G. ABROL, Addl, Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 9th March 1976

No. 1(8)/73-EPZ.—The President is pleased to appoint Shri A. G. Krishnan, formerly Accounts Officer in the office of Development Commissioner, SEEPZ as Deputy Development Commissioner (New Units) in the same office, on deputation, in the scale of Rs. 1100—1600 on ad hoc basis for a period six months w.e.f. 21st February, 1976 forenoon.

No. 1(1)/76-EPZ.—The President is pleased to appoint Shri S. Ganesan, formerly Assistant Director in the Tariff Commission, Bombay, as Public Relations Officer in the office of the Development Commissioner, SEEPZ on deputation in the scale of Rs. 700—1300 on an ad hoc basis for a period of six months w.e.f. afternoon of 20th February, 1976.

U. R. KURLEKAR, Dy. Director

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 1st March 1976 RESOLUTION

No. Z-28015/7/76-H.—The Government of India consider that to plan and coordinate the delivery of medical and health services in the Union Territory of Delhi, it is desirable to have a High level Board. It has accordingly been decided that a Delhi Hospitals Board should be constituted for hospitals in the Union Territory of Delhi under the general supervision of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning:—

2. The Delhi Hospitals Board will consist of the following:—

(1) Lt, Governor of Delhi Chairman

(2) Director General of Health Services or Additional DG Member

(3) Joint Secretary, Member Ministry of Health & Family Planning, (Department of Health). Government of India.

(4) Financial Adviser (Health) Member Ministry of Finance.
Government of India.

(5) Secretary (Health), Member Delhi Administration.

(6) Director of Health Services. Member Delhi Administration.

 Commissioner, Municipal Corporation Member of Delhi.

(8) Member Secretary, New Delhi Member Municipal Committee.

 Chairman, Delhi Cantonment Member Board,

(10-12) Three persons to be nominated by the Union Health Minister.

- (13) DDG (HA), Directorate General Member-Secretary of Health Services.
- 3. The Headquarters of the Board will be in New Delhi.
- 4. The Board will hold meetings as and when necessary and may invite to its meetings such other officers/experts as it may consider necessary. It will also be empowered to appoint sub-committees that may be considered necessary for any purpose.
- 5. In particular and without prejudice to the generality of the provisions above, the functions of the Board shall be:—
 - (a) To plan development of Health Services in the Union Territory of Delhi.
 - (b) To formulate schemes on regional basis for special services e.g. emergency and accident care including ambulance service, blood bank, central purchase for medicines equipment etc.
 - (c) To arrange for appraisal/inspection of hospital services from time to time.
 - (d) To recommend allocation of funds for development of special facilities and services as may be considered necessary.
 - (e) To invite, collect and accept donations for hospital services from the public and to utilise the same for specific purposes, provided such acceptance or utilisation does not involve the Government into any additional expenditure for the hospitals, and provided further that such donations do not violate the rules and orders that may be in force in this regard.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India/Directorate General of Health Services/Delhi Administration/

tration/Delhi Municipal Corporation/New Delhi Municipal Committee/Delhi Cantonment Board/Chairman and Members of the Delhi Hospitals Board.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. R. KRISHNAMURTHI, Jt. Secv.

(DEPIT, OF FAMILY PLANNING)

New Delhi, the 5th March 1976

No. V-11011/5/75-Ply.—In supersession of this Ministry's notification No. 2-63/72-Ply, dated the 13th June, 1973, as amended from time to time, the Government of India have decided to reconstitute the Central Family Planning Council with the following members:-

MINISTERS

Minister for Health and Family Planning	Chairman		
	Chairman		
3. Union Dy. Minister for Health & F. P.	Member		
4. Member, Planning Commission	Member		
5. Minister of Health, Govt. of A. P.	Member		
6. Minister of Health, Govt. of Assam	Member		
7. Minister of Health, Govt. of Bihar	Member		
8. Minister of Health, Govt, of Gujarat	Member		
9. Minister of Health, Govt. of Haryana	Member		
10. Minister of Health, Govt. of Himachal Pr.	Member		
11. Minister of Health, Govt. of Kerala	Member		
 Minister of Health, Govt. of Jammu and Kashmir. 	Member		
13. Minister of Health, Govt. of Madhya Pr.	Member		
14. Minister of Health, Govt. of Maharashtra	Member		
15. Minister of Health, Govt. of Manipur	Member		
16. Minister of Health Govt. of Meghalaya	Member		
17. Minister of Health, Govt, of Karnataka	Memb e r		
18. Minister of Health, Govt. of Nagaland	Member		
19. Minister of Health, Govt of Orissa	Member		
20. Minister of Health, Govt. of Punjab	Member		
21. Minister of Health, Govt. of Rajasthan	Member		
22. Minister of Health, Govt. of Sikkim	Member		
23. Minister of Health, Govt. of Tamil Nadu	Member		
24. Minister of Health, Govt. of Tripura	Member		
25. Minister of Health, Govt. of Uttar Pr.	Member		
26. Minister of Health, Govt, of West Bengal	Member		
27. Minister of Health, Govt. of Goa, Daman and Diu	Member		
28. Minister of Health, Govt. of Pondicherry	Member		
29. Minister of Health, Govt. of Mizoram	Member		
30. Executive Councillor (Medical) Delhi	1.10111001		
Administration	Memb e r		
MEMBERS OF PARLIAMENT	34. 1		
31. Shri M. V. Krishnappa (Lok Sabha)	Member		
32. Smt. Mukul Banerjee (Lok Sabha)	Member		
33. Smt. Pratima Bose (Rajya Sabha)	Member		
NON-OFFICIALS/VOLUNTARY ORGANISATIONS/			

LABOUR ORGANISATIONS

- 34. Chairman, Central Social Welfare Board Mcmber
- 35. President, Family Planning Association of Member India

36.	President, Indian Medical Association	Member
37.	President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry	Member
38.	Chairman, Indian Council of Child Welfare	Member
	A representative of All India Panchayat Parishad	Member
40.	A representative of Employers' Federation of India.	Member
41.	President, Indian National Trade Union Congress or his nominee.	Member

PROMINENT INDIVIDUALS

- 42. Professor P. B. Desai, Director, Institue of Economic Growth Member Member
- 43. Prof J. C. Kavoori, Executive Secretary, Family Planning Foundation.
- 44. Dr. (Mis.) B. J. Coyaji, Chief Medical Officer, Member King Edward Memorial Hospital, Punc.

OFFICIALS

- Member 45. Secretary, Ministry of Health & F. P. 46. Secretary, Department of Social Welfare Member 47. Secretary, Department of Education Member 48. Secretary, Ministry of Labour Member Member 49. Secretary, Ministry of Information & Broadcasting. 50. Addl. Secretary, Ministry of Health & Member Family Planning
 - 51, J. S. & Commissioner (FP&MCH), Member-M.nistry of Health & Family Planning Secretary.
- 2. The Council shall review the progress of the Family Planning Programme periodically and advise the Government on general policies in respect of matters connected with the programme.
- 3. The members of the Council shall normally hold office for a period of two years. The Members of Lok Sabha/ Rajya Sabha shall be members of the Council so long as they are members of either Lok Sabha/Rajya Sabha or till the life of the Council, whichever is earlier.
- 4. The Council will hold its meetings as often as necessary.
- 5. The expenditure on the T.A. and D.A. of Minister, Members of Pianning Commission and officials for attending the meetings of the Council shall be met from the same source from which their salary is drawn. The T.A. and D.A. of non-official members for attending the meetings of the Council shall be regulated in accordance with the provision of SR 190 and orders of the Government of thereunder as issued from time to time.
- 6. The expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant under the Major Head :-

"Demand No. 45-Family Planning Major Head 281-A-Family Planning A-1-Direction & Administration A-1(1)-Technical Wing at Headquarters A-1(1)(4)-Travel Expenses"

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all State Governments/Union Territories and that the Notification may be published in the Gazette of India for general inf wmation.

SERLA GREWAL, Joint Secy. & Commissioner

(FP).

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 10th March 1976

No. 8-1/72-Fy(T-1).—In partial modification of Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture)'s Resolution No. 12-24/57-Fy(D) dated the 1st April, 1958 and in continuation of this Ministry's Notification of even number dated the 10th December, 1974 the President is pleased to nominate Shri S. N. Singh Deo, Member Lok Sabha (West Bengal) as member of the Central Board of Fisheries until further orders.

S. P. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secv.

(DEPARTMENT OF IRRIGATION) New Delhi, the 1st March 1976 RESOLUTIONS

No. F. C-37(38)/75.—Reference this Ministry's Resolution No. FC-37(38)/75, dated 18th September 1975, regarding Committee of Ministers for laying down norms on land acquisition and rehabilitation measures for people displaced by major water resources projects. The date for the submission of the report by the Committee is hereby extended upto the end of June, 1976.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territorics, the Private and Military Secretaries to the President, Prime-Minister's Secretariat, the Comptroller and Auditor General India, the Planning Commission and all Ministries/partments of Central Government for information,

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette India and that the State Governments be requested to blish it in the State Gazettes for general information.

The 9th March 1976

No. F.C.-2(23)/74.—In para 1 of this Ministry's Resoluon No. F. C.-2(23)/74, dated the 23rd December, 1974, econstituting the Brahmaputra Flood Control Board, the ollowing may be substituted for the existing entry at S. No.

"11. Minister of Forests Government of Member"
Arunachal Pradesh

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to the State Governments of Assam and Arunachal Pradesh/concerned Ministries of Government of India/Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India/Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

O, P. CHADHA, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 8th March 1976 RESOLUTION

No. Hindi/73/G-28/2.—In partial modification of Ministry of Railways (Railway Board's) Resolution No. Hindi/73/G-28/2, dated 21st July, 1975 regarding reconstitution of Railway Hindi Salahkar Samiti, the Government of India have decided to appoint "Senior Officers dealing with Hindi on all Zonal Railways" as members of the Samiti in place of "Chief Personnel Officers of All Zonal Railways" appearing at S. No. 11 of the aforesaid Resolution.

2. In partial modification of Ministry of Railways (Railway Board's) Resolution No. Hindi/73/G-28/2, dated 25th July, 1974 reconstituting the Railway Hindi Salahkar Samiti, the Government of India have decided that the words 'Hindi Adviser to the Government of India' appearing against S. No. 24 of the aforesaid Resolution should be read as 'Secretary, Department of Official Languages and Hindi Adviser to the Government of India'.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts, and all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the resolution be published in the gazette of India for general information.

S. K. RAMANATHAN, Jt. Secv., Railway Board.